न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 40/16 GCMS NO 2016/00107

भीम सिह पुत्र श्योदान सिह जाति गुर्जर निवासी बल्लूपुरा तहसील व जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. बने सिह
2. भीमराज
3. हल्के पुत्रान रामनारायण जातियान गुर्जर निवासीयान टीकैतपुरा तहसील व जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 56/12 निर्णय दिनांक 19.1.16 न्यायालय सहायक कलक्टर, करौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री विष्णु चंद बंसल।

अभिभाषक रेस्पो0 कोई उपस्थित नही।

दिनांक 25.3.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्व निर्णय दिनांक 19.1.16 न्यायालय सहायक कलक्टर, करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में सायल/अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0न0 116/5 रकबा 3 बीघा 10 विस्वा ग्राम विरवास पटवार हल्का मांची तहसील करौली मे स्थित है। जो सायल की खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसकी विधि अनुसार सायल के हक मे राजस्व नक्शा शीट मे तरमीम हो चुकी है। ख0न0 116/5 सडक का नम्बर बन चुका है उसके अलावा सायल की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि के मिन न0 116/5/2 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा एवं ख0न0 116/5/3 रकबा 2 बीघा 1 विस्वा बन चुका है। इस प्रकार अब सायल की खातेदारी व कब्जे काश्त के ख0न0 116/5/2 एवं 116/5/3 है। जो नक्शा शीट एवं जमाबंदी की प्रमाणित प्रति से स्पष्ट है। सायल की खातेदारी की आराजीयात मे गेर सायल का कोई खातेदारी काश्तकारी सबंध नही है। गैरसायलान की खातेदारी की आराजी सायल की खातेदारी से भिडी हुई है सायल की खातेदारी की भूमि सडक ख0न0 116/5/1 के दोनो तरफ है। सडक भी ख0न0 116/5 मे से बनी है जो पूर्व मे 1 बीघा 10 विस्वा भूमि ख0न0 116/5 की सडक के लिए अवाप्त हुई है और अवाप्ति से पूर्व ख0न0 116/5 का रकबा 5 बीघा था। गैरसायल ताकतवर है और अनाधिकृत तौर पर सायल की भूमि को हडपना चाहते है और इसी कारण सायल की फसल को नष्ट कर देते है। सायल का उचित लाभ लेने मे व्यवधान पैदा करते है। गैरसायल आये दिन सायल से झगडा करने के कारण उनके विरुद्ध धारा 107–116 जा0दी0 मे प्रकरण दर्ज हुआ है। परन्तु गैरसायल ताकतवर व पैसे वाले है। सायल अपनी आराजी पर दिनांक 2.10.21 को गया तब गैरसायलान हाथो मे लाठिया लेकर आये तथा आते ही सायल को मां बहिन की गालिया देने लगे।सायल द्वारा मना करने पर झगडा करने को आमादा हो गये और गैरसायलान ने ऐलानिया कहा कि तुमको काश्त नही करने देगे एवं जान से मार देगे। गैर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:50:13 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

सायलान की कार्यवाही अनाधिकार है। जिससे हक हकूक सायल आधात है। सायल को अपूर्णनीय क्षति है। सायल की खातेदारी अधिकार पर विपरीत प्रभाव पडेगा। और सायल को अपूर्णनीय क्षति होगी। सायल की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि मे गैरसायलान को फसल काश्त करने से रोकने का कोई अधिकार नही है। इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना आवश्यक है। अतः गैरसायलान को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि सायल के कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 116/5 से बने मिन नम्बरान 116/5/2 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा व 116/5/3 रकबा 2 बीघा 1 विस्वा स्थित ग्राम विरवास तहसील करौली मे गैरसायलान सायल के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नही करे ना ही अन्य किसी से करावे तथा सायल को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से सायल/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पो0 की और से कोई उपस्थित नही होने से बहस अपीलांट अधिवक्ता की अपील पर एक पक्षीय सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व , आवेट्री व परवरिश एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ प्राईमाफेसी केस,सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का विवेचन नही किया है। और मात्र तरमीम ख0न0 का नोट जमाबंदी मे बटे नम्बर के रूप मे दर्ज है उसके संबंध मे काबिज होने का कोई दस्तावेज पेश नही करना मानकर सरसरी तौर पर बिना पत्रावली का अवलोकन किये जैर अपील निर्णय मनमाने तरीके से किया गया है। जबकि अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र व वाद पत्र के साथ उक्त ख0न0 की जमाबंदी सम्वत 2067 से 70 व नक्शा शीट प्रस्तुत की है जिसमे उक्त ख0नम्बरान पूर्व ख0न0 116/5 मे सडक निकल जाने से बटे नम्बर दर्ज हुए है ख0न0 116/5 के बटे नम्बर 116/5/2 व 116/5/3 सायल अपीलांट की खातेदारी व कब्जे काश्त की है। एवं ख0न0 116/5/1 सडक का मिन नम्बर है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय विधि विरूद्व पारित किया है। अपीलांट द्वारा रेस्पो0 के विरूद्व 447,427 आई पी सी का मुकदमा उक्त आराजीयात मे से रेस्पो0 द्वारा मिटटी खोद ले जाने के संबंध मे किया गया है। न्यायालय द्वारा इस कृत्य के लिए उन्हे संदेश का लाभ दिया जाकर बरी किया गया है। उक्त प्रकरण फौजदारी होने से प्रार्थना पत्र के निस्तारण मे किसी प्रकार का कोई मदद नही करता है यह विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है। भूमि अपीलांट की खातेदारी व कब्जे काश्त की है जि[illegible] द्वारा कोई राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नही किया है। जिससे उक्त भूमि उनके खातेदारी व [illegible] फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज [illegible] पारित किया है। विवादित भूमि अपीलांट की खातेदारी व कब्जे काश्त की होना राजस्व रिकार्ड से प्रमाणित है। सायल अपीलांट का प्राईमाफेसी केस होना एवं सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति अपीलांट के पक्ष मे सिद्व है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:50:13 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपीलांट अपने खातेदारी अधिकारो से बंचित हो जावेगा जबकि रेस्पो0 को पाबन्द किये जाने से उन्हे किसी प्रकार की असुविधा व अपूर्णनीय क्षति नही होगी तथा किसी प्रकार के हक प्रभावित नही होगे। इस प्रकार प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पो0को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि भूमि ख0न0 116/5/2 व 116/5/3 कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 10 विस्वा ग्राम विरवास तहसील करौली मे अपीलांट के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की मजाहमत ना तो स्वयं करे ना ही अपने परिवारजन सहयोगी से करावे एवं अपीलांट को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे।

अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि ग्राम मांची तहसील करौली के साबिक खसरा नम्बर 116/5 रकबा 3 बीघा 10 विस्वा था। जिसमे से सडक निकल जाने के कारण उसके बटे नम्बर 116/5/2 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा एवं 116/5/3 रकबा 2 बीघा 1 विस्वा बने है। जो जमाबंदी सम्वत 2067–70 मे आराजी अपीलांट भीमसिह पुत्र श्योदान सिह जाति गुर्जर निवासी बल्लूपुरा हाल आबाद करौली के नाम दर्ज रिकार्ड है। विवादित आराजीयात की खातेदारी अपीलांट के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र तरमीम का नोट जमाबंदी मे बटे नम्बर के रूप मे किये जाने से उस पर काबिज होने का कोई प्रमाण नही होने के कारण सायल/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जो विधि के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ के संबंध मे भी किसी प्रकार का विवेचन नही किया है। जो आवश्यक है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने से अपास्त योग्य है। चूकिः विवादित आराजीयात का अपीलांट रिकार्डेड खातेदार है जिससे प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष मे बखूबी साबित है साथ ही रिकार्डेड खातेदार की आराजीयात को किसी दीगर व्यक्ति द्वारा हडपने की कोशिश की जाती है तथा उसे फसल काश्त करने मे व्यवधान किया जाता है तो उसे अपूर्णनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। उक्त विवेचन से अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है।

अतःअपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली के प्रकरण संख्या 56/12 निर्णय दिनांक 19.1.16 को अपास्त किया जाता है। रेस्पो/गैरसायलान को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है भूमि ख0न0 116/5/2 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा एवं 116/5/3 रकबा 2 बीघा 1 विस्वा वाके ग्राम विरवास पटवार हल्का मांची तहसील करौली मे अपीलांट के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार का व्यवधान ना तो स्वयं करे ना ही अन्य से करावे तथा अपीलांट को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.12 15:30:13 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 25.03.2025 को दिया गया। इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर